दंगों के कारणों इत्यादि की जांच करने के लिये 25 जून, 1974 को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा चार माह में अपनी जांच पूरी करने तथा केन्द्रीय सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ) जून, 1973 में सदर बाजार क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की गई समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में भेज दी गई हैं और अनुरोध पर संसद सदस्यों को भी उपलब्ध की गई है।

दिल्ली प्रशासन में अधिकारियों द्वारा कथित घोटाला

339. **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1974 के एक हिन्दी दैनिक, "दिल्ली प्रशासन के 4 अधिकारियों को नोटिस—सात लाख रुपये का कथित घोटाला?" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) इस समाचार में कितनी वास्तविकता है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) (क) तथा (ख) सरकार ने 21 मई, 1974 के हिन्दी दैनिक "वीर अर्जुन" में प्रकाशित समाचार देखा है। समाचार में उल्लिखित मामला सम्भवतः तत्कालीन उप-आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, जो दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकास विभाग का कार्य देखते थे द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर आधारित है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार इस टिप्पणी पर विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है और यह पाया गया है कि टिप्पणी की अधिकतर बातें रिकार्ड से संगत नहीं थीं।

हरियाणा के कारखानों को बिजली की सप्लाई

340. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या सिंचाई और बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाणा के कारखानों को मई-जून, 1974 में पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई की गई थी, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सिंचाई और बिजली मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मई और जून, 1974 के दौरान हरियाणा में कारखानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करना सम्भव नहीं हो पाया है। राज्य में बिजली की कुल मांग सप्लाई की तुलना में बहुत अधिक है तथा गत कई महीनों में बिजली की सप्लाई में कटौतियां लागू की गई हैं। गोबिन्दसागर झील में पानी कम करने के कारण मई-जून में भाखड़ा में भी बिजली उत्पादन में कमी करनी पड़ी जिससे सप्लाई और भी कम हो गई।

बीमार कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

341. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है कि जिन बीमार कपड़ा

मिलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ऐसे मिलों की संख्या कितनी है तथा इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग). सरकार ने जिन कपडा मिलो का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है उनका राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है। हाल ही में इसके लिये उपयुक्त कानून बनाने का प्रस्ताव है।

Increase in Price of Manufactured Goods

342. SHRI MADHU LIMAYE:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the Government of India have permitted increase in the prices of a large number of manufactured goods since 1st April, 1974;

(b) if so, the names of these manufactured goods and the magnitude of price increases granted;

(c) the reasons for these increases; and

(d) whether the blackmarket margins in these goods have been reduced after these increases or have remained the same but now at a higher level.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY AND AGRICULTURE (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) The question of Government allowing price increases arises only in respect of items the prices of which are controlled. Increase in prices of certain such items have been allowed since April 1, 1974.

(b) In so far as industries falling under the Ministry of Industrial Development are concerned, increases in the prices of such items have been allowed as shown below:

Name of item	Magnitude-of-price increase allowed
(i) Cement produced through the use of furnance oil.	Rs. 50 per tonne
(ii) Baby Food	About Rs. 5 to 6 per kg.

In regard to automobile types, the price control, which was earlier in force in respect of certain categories; was withdrawn.

(c) The price increases are allowed based on the examination of the cost of production, including prices of indigenous and imported raw materials, and other relevant factors.

(d) No reliable information is available on the premiums, if any, prevailing over the officially determined prices.